

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 14 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 22/01/2026

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार इजराय प्रकरणों (Ex MJC) को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज कुमार तिवारी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मउगंज	सूची क्र. 1 के इजराय (Ex MJC) प्रकरण No. 1 to 23	श्री जय सिंह सराते प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मउगंज के अतिरिक्त न्यायाधीश / सदस्य प्रथम दुर्घटना दावा अधिकरण के अतिरिक्त सदस्य मउगंज
		सूची क्र. 2 के इजराय (Ex MJC) प्रकरण No. 1 to 2	श्री हीरालाल अलावा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मउगंज / सदस्य द्वितीय दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य मउगंज

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (मउप्र0)

रीवा, दिनांक 22/01/2026

पृष्ठांकन क्र0 390 /

/दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मउगंज।
2. श्री जय सिंह सराते, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मउगंज के अतिरिक्त न्यायाधीश / सदस्य प्रथम दुर्घटना दावा अधिकरण के अतिरिक्त सदस्य मउगंज।
3. श्री हीरालाल अलावा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मउगंज / सदस्य द्वितीय दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य मउगंज
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मउगंज।
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (मउप्र0)।
6. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 / फाईलिंग काउण्टर मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (मउप्र0)